राजीव गाँधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान
(संसद के अधिनियम के अधीन स्थापित राष्ट्रीय महत्व का एक संस्थान)
Rajiv Gandhi Institute of Petroleum Technology
(An Institution of National Importance established under an Act of Parliament)
Jais, Amethi- 229304, UP, India. Website: www.rgipt.ac.in

Ref: RGIPT/Jais/Admin/-121-/2025 March 18, 2025

NOTIFICATION

It is hereby notified that all the purchases to be made by the Institute from Government-e-Marketplace (GeM) are amended in compliance of OM No. 08(18)/2021-E.II(A) (GeM Rules -GFR-149) dated 07.08.2024 issued by the Ministry of Finance, Government of India, as follows-

Sl. No.	Value of Procurement	Amended Rules (Under the GRF-149)
1.	Procurement up to Rs. 50,000.00	Through any of the available supplier on the GeM, meeting the requisite quality, specification and delivery period.
2.	Procurement above 50,000.00 and up to 1,00,000.00	(a) Through the GeM seller having lowest price amongst the available seller of at least three different manufacturers on GeM, meeting the requisite quality, specification and delivery period. (b) The tools for online bidding and online reverse auction can also be used by the buyer for procurements less than Rs. 1, 00,000.00.
3.	Procurement Above Rs. 1, 00,000.00	Through the supplier having lowest price meeting the requisite quality, specification and delivery period after mandatorily obtaining bids using reverse auction tool provided on GeM.

4. For procurements proposal of Rs. 50,000.00 or more will require concurrence of Internal Audit before placing any order for supply.
5. Piece meal purchase/split purchase must be avoided (Refer Rule-149 (viii) of GFR).

It is issued with the approval of the Competent Authority.

(Registrar)

Copy to:

1. All Dena and HoD
2. All faculty and Staff
3. Assistant Registrar (Audit)
4. Assistant Registrar (Accounts)
5. Secretary to Director

(Registrar)

राजीव गाँधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान
(संसद के अधिनियम के अधीन स्थापित राष्ट्रीय महत्व का एक संस्थान)
Rajiv Gandhi Institute of Petroleum Technology
(An Institution of National Importance established under an Act of Parliament)
Jais, Amethi- 229304, UP, India. Website: www.rgipt.ac.in

संदर्भ-आरजीआईपीटी/जायस/प्रशा./...121.../2025 18-03-2025

अधिसूचना

एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि संस्थान द्वारा गवर्नमेंट-ई-मार्केटप्लेस (GeM) से किये जाने वाले क्रय को वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 07.08.2024 को जारी कार्यालय ज्ञापन संख्या 08(18)/2021-E.II(A)(GeM नियमों -जीएफआर-149) के अनुरूप निम्नवत संशोधित किया जाता है-

क्र. सं.	क्रय मूल्य	क्रय नियम (जीएफआर-149 के तहत) संशोधित
1.	रुपये 50,000.00 तक का क्रय।	विनिर्देशित व अपेक्षित गुणवत्ता एवं आपूर्ति अवधि को पूरा करने वाले GeM पर उपलब्ध किसी भी आपूर्तिकर्ता के माध्यम से
2.	रुपये 50,000.00 से अधिक एवं रुपये 1,00,000.00 तक का क्रय	(क) विनिर्देशित व अपेक्षित गुणवत्ता एवं आपूर्ति अवधि को पूरा करने वाले कम से कम तीन विभिन्न निर्माताओं के GeM पर उपलब्ध विक्रेताओं में से सबसे कम कीमत वाले GeM विक्रेता के माध्यम से (ख) रुपये 1,00,000.00 से कम के क्रय हेतु ऑनलाइन बोली एवं ऑनलाइन रिवर्स नीलामी के लिए GeM पर उपलब्ध उपकरणों का उपयोग भी किया जा सकता है।
3.	1,00,000.00 रुपये से अधिक का क्रय	विनिर्देशित व अपेक्षित गुणवत्ता एवं आपूर्ति अवधि को पूरा करने वाले न्यूनतम मूल्य वाले आपूर्तिकर्ता के माध्यम ऑनलाइन बोली एवं ऑनलाइन रिवर्स नीलामी के लिए GeM पर उपलब्ध उपकरणों का उपयोग करके अनिवार्य बोलियां प्राप्त करने के बाद की जाएगी।

4. रुपये 50,000.00 या अधिक मूल्य के क्रय के लिए क्रयादेश जारी करने से पूर्व संस्थान के आंतरिक अंकेक्षण कक्ष से अंकेक्षित कराया जाना आवश्यक है।
5. छोटे-छोटे हिस्सों (Split purchasing) (जीएफआर-149(viii) का संदर्भ ग्रहण करें) में क्रय न किये जाए।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

जितेन्द्र प्र.
(कुलसचिव)

प्रतिलिपि:

1. समस्त अधिष्ठाता एवं विभागाध्यक्ष
2. सभी संकाय सदस्य एवं कर्मचारी
3. सहायक कुलसचिव (अंकेक्षण)
4. सहायक कुलसचिव (लेखा)
5. निदेशक के सचिव

(कुलसचिव)